IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में राजनीति का अपराधीकरण: कारण और समाधान

आलोक रंजन

सारांश

भारतीय लोकतंत्र की सफलता उसके पारदर्शी, नैतिक और उत्तरदायी नेतृत्व पर निर्भर करती है, किंतु विगत कुछ दशकों में राजनीति में अपराधियों की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। इस शोध पत्र में राजनीति के अपराधीकरण की अवधारणा, इसके कारण, प्रभाव एवं संभावित समाधान का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। आंकड़ों के अनुसार भारतीय संसद और विधानसभाओं में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे लंबित हैं, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को चुनौती मिल रही है। शोध में पाया गया कि राजनीतिक दलों की सत्ता–लिप्सा, मतदाताओं की अल्प–राजनीतिक चेतना, न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति और धनबल–बाहुबल का प्रभाव इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं। समाधान के रूप में तेज न्यायिक प्रक्रिया, चुनावी सुधार, राजनीतिक इच्छाशक्ति और जन–जागरूकता को प्रमुख माना गया है।

वर्तमान शोधपत्र का उद्देश्य भारत में राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना है, जो लोकतंत्र की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नैतिकता के लिए एक गंभीर चुनौती प्रस्तुत करता है। शोध में विभिन्न सरकारी रिपोर्टों, चुनाव आयोग और ADR (Association for Democratic Reforms) के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए यह दर्शाया गया है कि भारत में अनेक निर्वाचित जनप्रतिनिधियों पर गंभीर आपराधिक आरोप लंबित हैं। राजनीति के अपराधीकरण के प्रमुख कारणों में राजनीतिक दलों की जिताऊ प्रत्याशी नीति, मतदाताओं की जागरूकता की कमी, न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति और बाहुबल–धनबल की भूमिका शामिल हैं।

शोध में दुष्परिणामों की पहचान की गई है, जैसे – शासन प्रणाली में नैतिक ह्रास, कानून व्यवस्था की गिरावट, जनविश्वास में कमी और भ्रष्टाचार का विस्तार। संभावित समाधान के रूप में न्यायिक सुधार, राजनीतिक दलों की जवाबदेही, चुनावी पारदर्शिता, एवं मतदाता जागरूकता को प्रस्तुत किया गया है। यह अध्ययन इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि राजनीति से अपराधियों की निष्कासन प्रक्रिया को सशक्त एवं अनिवार्य बनाए बिना लोकतंत्र की गुणवत्ता और लोकहित सुरक्षित नहीं रह सकते।

मुख्य शब्द– राजनीति का अपराधीकरण, लोकतंत्र, चुनावी सुधार, जनप्रतिनिधि, न्यायिक प्रक्रिया, भारत

भूमिका

भारतीय लोकतंत्र की नींव *"जनता के द्वारा, जनता के लिए, और जनता की सरकार"* के सिद्धांत पर आधारित है। एक सशक्त लोकतंत्र तभी फलता–फूलता है जब उसमें नैतिक, ईमानदार और जनप्रतिनिधित्व के योग्य लोग शासन में भागीदारी करें। लेकिन बीते कुछ दशकों में भारतीय लोकतंत्र के इस आदर्श स्वरूप को सबसे अधिक जिस प्रवृत्ति ने चुनौती दी है, वह है – राजनीति का अपराधीकरण। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति सक्रिय राजनीति में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और सत्ता के उच्च पदों तक पहुँच जाते हैं।

यह प्रवृत्ति भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए अत्यंत चिंताजनक है, क्योंकि जिन व्यक्तियों पर हत्या, बलात्कार, लूट, भ्रष्टाचार, अपहरण जैसे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हों, वे यदि नीतिगत निर्णयों में भाग लें, तो नीति–निर्माण की पवित्रता और लोक–कल्याण की दिशा पर प्रश्नचिह्न लग जाता है। इसके कारण संसद और विधानसभाओं की गरिमा और कार्यप्रणाली पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे न केवल राजनीतिक संस्थाओं की विश्वसनीयता कम होती है, बल्कि शासन में अपराधीकरण का तंत्र और भी गहराता जाता है।

2024 में Association for Democratic Reforms (ADR) द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान लोकसभा में चुने गए 43% सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले लंबित हैं, जिनमें से 29% पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। यह संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही है, जो यह दर्शाता है कि अपराध और राजनीति के गठजोड़ को राजनीतिक दल खुलकर स्वीकार कर रहे हैं। अधिकांश दल ऐसे प्रत्याशियों को टिकट देते हैं जो या तो अत्यधिक धनबल रखते हैं, या बाहुबल के बल पर चुनाव जीत सकते हैं। इस तरह राजनीति में *"जिताऊ उम्मीदवारों"* की संस्कृति ने नैतिक मूल्यों और आदर्श नेतृत्व को पीछे धकेल दिया है।

अपराधियों के राजनीति में प्रवेश के पीछे कई कारक उत्तरदायी हैं – जैसे, न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति, पुलिस व प्रशासन की राजनीतिक निर्भरता, चुनाव प्रणाली की खामियाँ, मतदाताओं की जागरूकता की कमी और राजनीतिक दलों की सत्ता–लिप्सा। दुर्भाग्यवश, इन अपराधी नेताओं को जनता से समर्थन भी मिलता है, विशेषकर वहाँ जहाँ जातिवाद, धार्मिक पहचान, धन–बल, डर या व्यक्तिगत लाभ की राजनीति हावी होती है।

इस शोध में हम राजनीति के अपराधीकरण की इस बढ़ती प्रवृत्ति का विश्लेषण करेंगे। मुख्यतः यह अध्ययन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करता है –

- राजनीति में अपराधियों के बढ़ते प्रवेश के क्या सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी कारण हैं?
- इसका लोकतांत्रिक संस्थाओं, शासन और नीति निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- और इससे निपटने के लिए कौन–कौन से प्रभावी समाधान या सुधार संभव हैं?

यह अध्ययन इस बात पर बल देता है कि जब तक हम राजनीति को अपराधमुक्त नहीं बनाएँगे, तब तक भारतीय लोकतंत्र की आत्मा – जनहित और लोकनैतिकता – कमजोर होती रहेगी। इस समस्या का समाधान केवल विधिक या प्रशासनिक नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक चेतना, राजनीतिक इच्छाशक्ति और संस्थागत सुधारों की समवेत आवश्यकता है।

साहित्य समीक्षा

राजनीति का अपराधीकरण भारतीय लोकतंत्र में एक गंभीर और जटिल समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। इस प्रवृत्ति पर अनेक विद्वानों, सरकारी संस्थाओं और शोध संगठनों ने समय–समय पर चिंतन और विश्लेषण प्रस्तुत किया है। **रामचंद्र गुहा (2010)** अपनी पुस्तक "India After Gandhi" में स्पष्ट करते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात राजनीति में जनसेवा की भावना थी, किंतु 1980 के दशक के बाद राजनीति में बाहुबल और धनबल की निर्णायक भूमिका बढ़ी, जिससे आपराधिक छवि वाले लोगों की भागीदारी भी बढ़ने लगी। **अरुण शौरी** और **योगेंद्र यादव** जैसे विद्वानों ने यह तर्क दिया कि राजनीति में अपराधियों की पैठ केवल प्रशासनिक विफलता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोर पड़ती जवाबदेही का संकेत है। जबकि Association for Democratic Reforms (ADR) की रिपोर्टों में लगातार यह दर्शाया गया है कि 2004 से 2024 तक सांसदों एवं विधायकों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रतिनिधियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। 2024 में लोकसभा के 43% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 और 2013 के ऐतिहासिक निर्णयों में प्रत्याशियों की आपराधिक जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य किया और दोषी ठहराए गए जनप्रतिनिधियों की सदस्यता समाप्त करने का निर्देश दिया, लेकिन प्रभावी कानून न बनने से स्थितियाँ यथावत बनी हुई हैं। जगदीश यादव और **डॉ. एम.पी. सिंह** जैसे अध्येताओं ने राजनीतिक दलों की 'जिताऊ उम्मीदवार' संस्कृति को इस समस्या की जड़ बताया है, वहीं सामाजिक कारकों – जैसे जातिवाद, धर्म और धनबल – को भी अहम भूमिका के रूप में चिन्हित किया गया है। कुल मिलाकर, यह साहित्य समीक्षा स्पष्ट करती है कि राजनीति का अपराधीकरण केवल चुनावी समस्या नहीं, बल्कि एक सामाजिक, संस्थागत और सांस्कृतिक चुनौती है, जिससे निपटने के लिए बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है।

शोध उद्देश्य

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य भारत में राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण की प्रवृत्ति का बहुआयामी विश्लेषण करना है। विशेष रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों को केंद्र में रखा गया है–

- भारतीय राजनीति में आपराधिक प्रवृत्तियों की ऐतिहासिक और वर्तमान स्थिति का विश्लेषण करना।
- राजनीति में अपराधियों की भागीदारी के प्रमुख सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कारणों की पहचान करना।

- राजनीति के अपराधीकरण का लोकतंत्र, शासन व्यवस्था और जनप्रतिनिधित्व पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
- राजनीतिक दलों, चुनाव प्रणाली, न्याय व्यवस्था और मतदाताओं की भूमिका का मूल्यांकन करना।
- वर्तमान कानूनी प्रावधानों एवं चुनावी सुधारों की प्रभावशीलता का परीक्षण करना।
- राजनीति के अपराधीकरण को नियंत्रित करने हेतु व्यवहारिक और दीर्घकालिक समाधान प्रस्तावित करना।

शोध पद्धति

इस शोध का उद्देश्य भारत में राजनीति के बढ़ते अपराधीकरण की प्रवृत्ति का विश्लेषण करना है, जिसमें इसके प्रमुख कारणों, सामाजिक–राजनीतिक प्रभावों और संभावित समाधानों को स्पष्ट किया गया है। अध्ययन की प्रकृति वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) है, जो नीतिगत, कानूनी और सांख्यिकीय पक्षों को एक साथ जोड़कर समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है।

इस शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोतों से डाटा एकत्र किया गया है। प्राथमिक स्रोतों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत उम्मीदवारों के शपथ पत्र (Affidavit), सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, संसदीय कार्यवाही, और राजनीतिक दलों की सूची शामिल है। द्वितीयक स्रोतों में ADR (Association for Democratic Reforms), PRS Legislative Research, विधि आयोग की रिपोर्टें, समाचार पत्र, शोध लेख और पुस्तकें सम्मिलित हैं। इन सभी स्रोतों का उद्देश्य यह था कि अपराधीकरण की वास्तविक स्थिति और उसकी पृष्ठभूमि को तथ्यों के आधार पर समझा जा सके।

डेटा संग्रह की प्रक्रिया मुख्यतः दस्तावेजीय विश्लेषण (Documentary analysis) पर आधारित रही है, जिसमें उम्मीदवारों के आपराधिक मामलों से संबंधित घोषणाओं, विभिन्न रिपोर्टों, और न्यायालयीन निर्णयों का गहन अध्ययन किया गया। साथ ही, सांख्यिकीय विश्लेषण द्वारा आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों व विधायकों की संख्या, प्रकार, और समयानुसार परिवर्तनशील प्रवृत्तियों को दर्शाया गया है।

डेटा विश्लेषण की तकनीक में प्रतिशत विश्लेषण, प्रवृत्ति विश्लेषण (Trend analysis), और तुलनात्मक अध्ययन शामिल हैं, जिससे यह पता चल सके कि राजनीतिक दलों में अपराधी तत्वों की उपस्थिति किन कारणों से बनी हुई है और इसके क्या परिणाम हो रहे हैं। जहां संभव हुआ, वहां कुछ राजनीतिक विश्लेषकों और नागरिक संगठनों से संवाद के माध्यम से प्राथमिक दृष्टिकोण भी प्राप्त किए गए।

अंततः इस शोध की सीमाएं भी स्पष्ट हैं। यह अध्ययन मुख्यतः राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति तक सीमित है, जबकि स्थानीय निकायों की स्थिति का केवल आंशिक अध्ययन किया गया है। साथ ही, कई आंकड़े जैसे उम्मीदवारों द्वारा घोषित जानकारी स्वयं–घोषित होती है, इसलिए उसमें पूर्ण सटीकता की गारंटी नहीं दी जा सकती। इसके अतिरिक्त, संसाधनों और समय की सीमा के कारण कुछ क्षेत्रों का विश्लेषण अपेक्षाकृत संक्षिप्त रहा है।

राजनीति का अपराधीकरण

भारत में लोकतंत्र की जड़ों को भीतर से खोखला कर देने वाली एक गम्भीर चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। इसका तात्पर्य ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के सक्रिय रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने से है, जिन पर हत्या, अपहरण, बलात्कार, भ्रष्टाचार, धमकी, जबरन वसूली या अन्य गंभीर अपराधों के आरोप होते हैं। विडंबना यह है कि ये व्यक्ति न केवल चुनाव लड़ते हैं बल्कि बड़ी संख्या में विजयी भी होते हैं और संसद तथा राज्य विधानसभाओं में पहुँचकर नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करते हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में 43% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें से 29% गंभीर अपराधों से संबंधित थे (ADR रिपोर्ट)। राजनीतिक दल, विशेषकर जीतने की संभावना को देखते हुए, अक्सर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देते हैं जिनके पास धनबल, बाहुबल और जातीय/सामुदायिक समर्थन होता है। इसका परिणाम यह होता है कि राजनीति में आदर्शवाद, सेवा भाव और नैतिकता की जगह सत्ता की लालसा और अपराधी मानसिकता को बढ़ावा मिलता है। आम नागरिकों का लोकतंत्र पर विश्वास डगमगाने लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कानून का शासन केवल कागजों तक सीमित रह गया है और शक्तिशाली लोग कानून से ऊपर हैं। न्यायालयों में लंबित मामलों की अत्यधिक संख्या, दोष सिद्धि दर का अत्यंत कम होना, राजनीतिक संरक्षण, और चुनाव आयोग की सीमित शक्तियाँ इस प्रवृत्ति को और बल देती हैं। यह न केवल शासन और प्रशासन को भ्रष्ट करता है, बल्कि समाज में भय, अन्याय और असमानता का वातावरण भी उत्पन्न करता है। यदि समय रहते इस प्रवृत्ति को नियंत्रित नहीं किया गया,

तो यह भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर कर सकता है और संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर देगा।

भारत में राजनीति के अपराधीकरण के आंकड़े

भारत में लोकतंत्र की सफलता का आधार पारदर्शिता, जवाबदेही और जन प्रतिनिधित्व है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इसमें एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी गई है – राजनीति का अपराधीकरण। यह प्रवृत्ति तब सामने आती है जब आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, निर्वाचित होते हैं, और सत्ता व नीति–निर्माण प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। इस प्रवृत्ति ने भारतीय राजनीति की नैतिकता, जन विश्वास और लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा को गहरी क्षति पहुँचाई है।

आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों/विधायकों की स्थिति

Association for Democratic Reforms (ADR) और National Election Watch (NEW) द्वारा समय–समय पर प्रकाशित रिपोर्टें स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं कि भारत में चुनावी राजनीति में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है।

तालिका 1– लोकसभा चुनावों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों का विवरण

चुनाव वर्ष	कुल निर्वाचित सांसद	आपराधिक मामलों वाले सांसद	प्रतिशत (%)	गंभीर अपराधों वाले सांसद	प्रतिशत (%)
2004	539	128	24%	58	10.8%
2009	543	162	30%	76	14%
2014	542	185	34%	112	21%
2019	543	233	43%	159	29%

स्रोत– ADR रिपोर्ट, लोकसभा चुनाव विश्लेषण 2004–2019

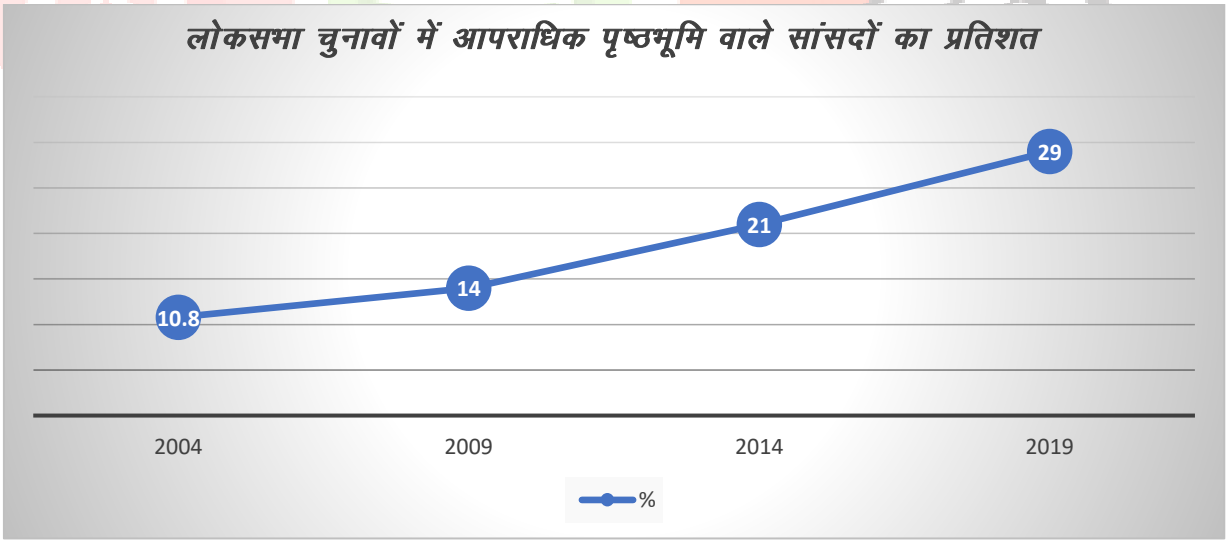

तालिका 1 का विश्लेषण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत में राजनीति का अपराधीकरण लगातार गहराता जा रहा है। वर्ष 2009 में जहाँ कुल 543 सांसदों में से 162 (30%) सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज थे, वहीं 2014 में यह संख्या बढ़कर 185 (34%) हो गई। यह वृद्धि केवल मामूली नहीं थी, बल्कि एक ऐसी प्रवृत्ति का संकेत देती थी जिसमें राजनीतिक दलों ने अपराध के गंभीर आरोपों वाले प्रत्याशियों को टिकट देने में कोई विशेष परहेज नहीं किया। वर्ष 2019 में यह आंकड़ा और भी चिंताजनक रूप ले लेता है, जहाँ कुल 539 निर्वाचित सांसदों में से 233 (43%) के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज थे। यह वृद्धि 2009 की तुलना में 13 प्रतिशत अंकों की थी, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जनता के भरोसे को कमजोर करने वाली स्थिति है।

इतना ही नहीं, यदि हम "गंभीर आपराधिक मामलों" के आंकड़ों को देखें – जिसमें हत्या, बलात्कार, अपहरण, जबरन वसूली जैसे संगीन अपराध शामिल हैं कृ तो इनकी संख्या भी तेजी से बढ़ी है। 2009 में जहाँ 76 सांसद (14%) गंभीर अपराधों के आरोपी थे, वहीं 2014 में यह संख्या 112 (21%) और 2019 में बढ़कर 159 (29%) तक पहुँच गई। इसका अर्थ है कि संसद में लगभग हर तीन में से एक सांसद पर गंभीर आपराधिक मामला लंबित है। इस बढ़ते अपराधीकरण के पीछे राजनीतिक दलों का सत्ता प्राप्ति हेतु जीतने की क्षमता को प्राथमिकता देना, मतदाताओं की सीमित जानकारी या जातीय–सामाजिक समीकरणों पर आधारित वोटिंग पैटर्न, और न्याय प्रणाली की धीमी गति जैसे कई कारण हो सकते हैं।

यह स्थिति भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती है। संसद जोकि विधायी और नीति–निर्धारण की सर्वोच्च संस्था है, उसमें यदि बड़ी संख्या में ऐसे व्यक्ति पहुँचते हैं जिन पर संगीन आरोप हैं, तो इससे नीति–निर्माण की प्रक्रिया की शुचिता और पारदर्शिता पर प्रश्नचिह्न लगते हैं। साथ ही, यह लोकतंत्र की गुणवत्ता और लोगों के प्रतिनिधित्व के आदर्शों को भी क्षति पहुँचाता है। अतः यह आवश्यक है कि चुनाव सुधारों के माध्यम से अपराधीकरण पर सख्ती से रोक लगाई जाए, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की अनुशंसा अनुसार दोष सिद्ध प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से वंचित करना, चुनाव आयोग को अधिक शक्तियाँ देना, और मतदाताओं को प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रति अधिक जागरूक बनाना।

तालिका 2 – लोकसभा 2019: राज्यवार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों का विवरण

राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	कुल विजयी सांसद	आपराधिक मामलों वाले सांसद	प्रतिशत (%)	गंभीर आपराधिक मामलों वाले सांसद	प्रतिशत (%)
उत्तर प्रदेश	40	26	65%	19	48%
बिहार	48	24	50%	17	35%
महाराष्ट्र	42	17	40%	9	21%
पश्चिम बंगाल	39	10	26%	6	15%
तमिलनाडु	25	19	76%	11	44%
आंध्र प्रदेश	17	8	47%	5	29%
तेलंगाना	28	11	39%	6	21%
कर्नाटक	25	9	36%	5	20%
राजस्थान	29	13	45%	7	24%
मध्य प्रदेश	26	7	27%	4	15%
गुजरात	21	6	28%	3	14%
ओडिशा	7	2	29%	1	14%
दिल्ली	14	9	64%	6	43%
झारखंड	13	5	38%	3	23%
पंजाब	10	4	40%	2	20%
हरियाणा	40	26	65%	19	48%

स्रोत– ADR रिपोर्ट, लोकसभा चुनाव विश्लेषण 2004–2019

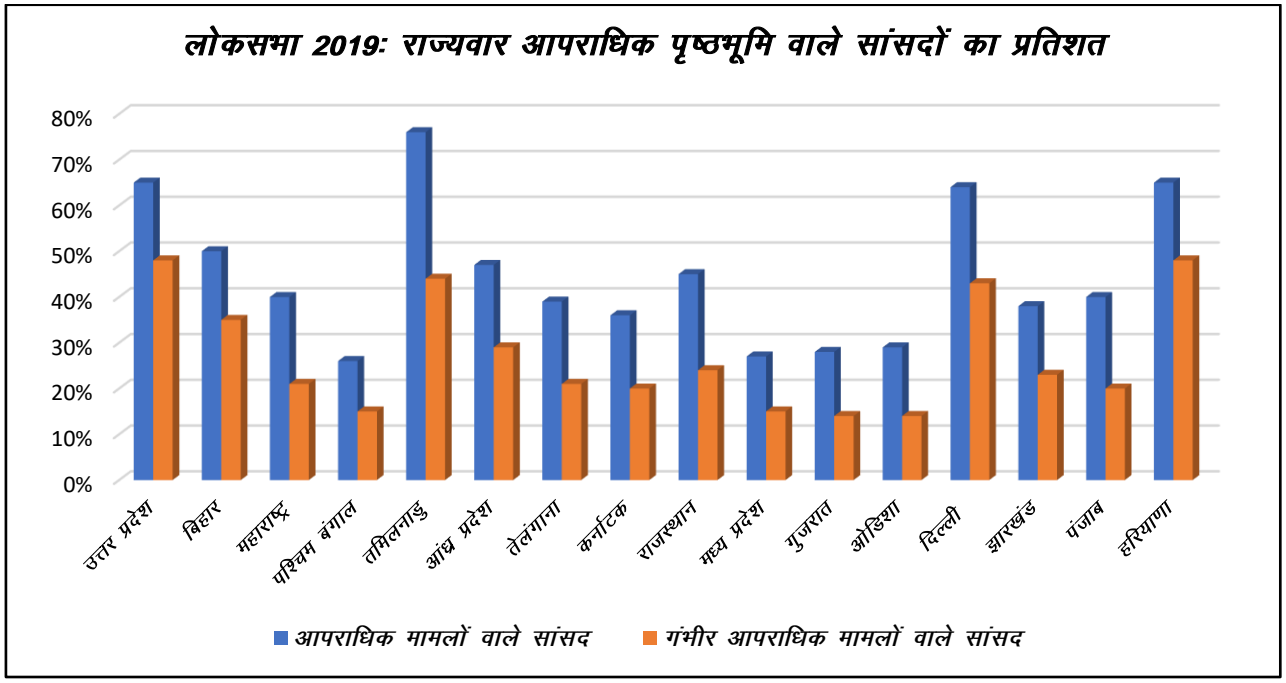

तालिका 2 के अनुसार, सबसे चिंताजनक स्थिति बिहार की है जहाँ कुल 243 विधायकों में से 163 (67%) के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, और इनमें से 123 विधायक (51%) गंभीर अपराधों से संबंधित हैं। यह साफ दर्शाता है कि राज्य में राजनीति और अपराध का घनिष्ठ संबंध गहराता जा रहा है।

उत्तर प्रदेश भी इसी राह पर है, जहाँ कुल विधायकों का 60% आपराधिक पृष्ठभूमि से आता है, और 39% गंभीर मामलों में आरोपी हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक विधायक हैं (403), इसलिए कुल संख्या के आधार पर अपराधियों की उपस्थिति राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक है।

महाराष्ट्र में भी स्थिति कम गंभीर नहीं है – 61% विधायकों पर आपराधिक मामले हैं और 42% पर गंभीर मामले। यह आंकड़े यह संकेत देते हैं कि केवल उत्तर भारत ही नहीं, बल्कि पश्चिम भारत के शहरी राज्यों में भी अपराध और राजनीति का गहरा मेल है।

इसके विपरीत, तमिलनाडु, राजस्थान, ओडिशा जैसे राज्यों में यह प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है, हालाँकि इन राज्यों में भी 25–30% विधायक आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरनाक संकेत हैं।

यह ट्रेंड यह सिद्ध करता है कि राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए दागी प्रत्याशियों को टिकट देने से नहीं हिचकते। इससे शासन–प्रशासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों का लोकतंत्र पर विश्वास कमजोर होता है।

इसलिए, जन जागरूकता, चुनावी सुधार और न्यायिक प्रक्रिया की तेजी बेहद आवश्यक है, जिससे राजनीति में शुद्धता सुनिश्चित की जा सके।

तालिका 3 – लोकसभा 2019 प्रमुख दलों के आपराधिक पृष्ठभूमि वाले विजेता सांसद (पार्टीवार)

राजनीतिक दल	कुल विजयी सांसद	आपराधिक मामलों वाले सांसद	प्रतिशत (%)	गंभीर आपराधिक मामलों वाले सांसद	प्रतिशत (%)
भारतीय जनता पार्टी	303	116	38%	87	29%
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	52	35	67%	19	37%
डीएमके	23	10	43%	6	26%
टीएमसी	22	9	41%	5	23%
वायएसआर कांग्रेस	22	18	82%	11	50%

शिवसेना	18	10	56%	6	33%
एलजेपी	6	5	83%	3	50%

स्रोत– ADR रिपोर्ट, लोकसभा चुनाव विश्लेषण 2004–2019

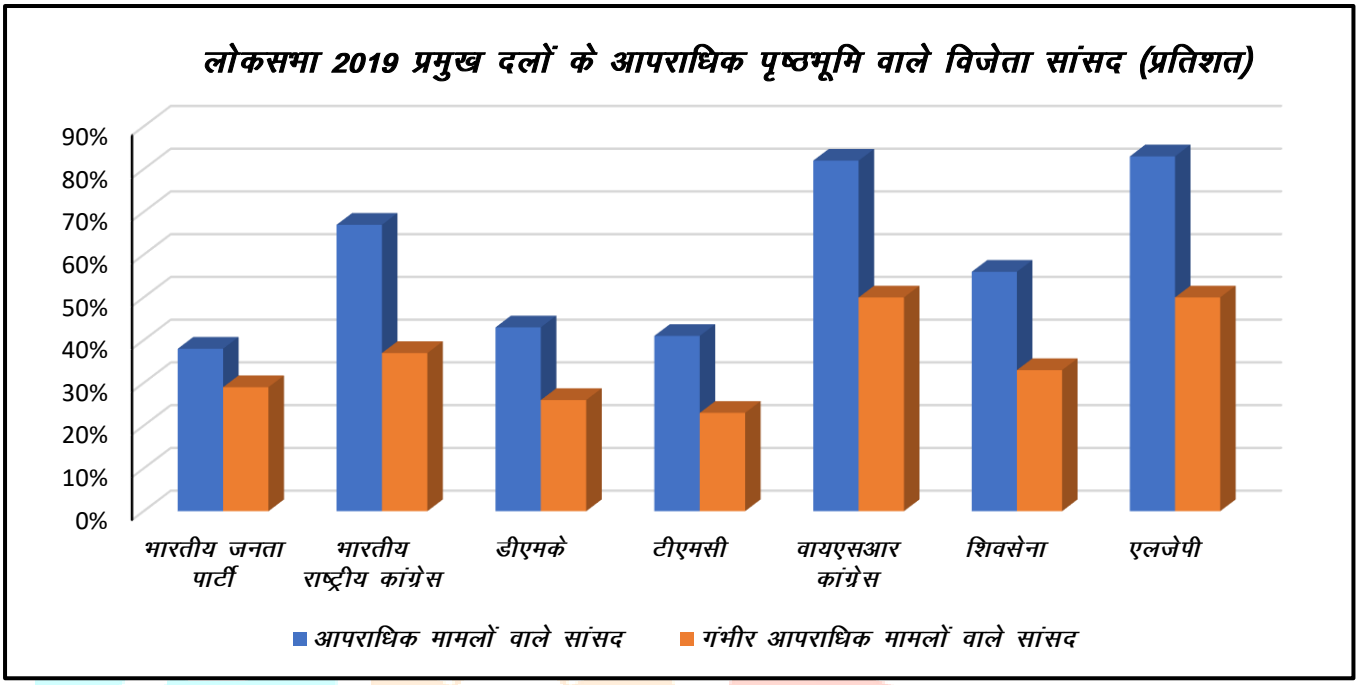

उपरोक्त तालिका 3 के आधार पर स्पष्ट होता है कि भारत में लोकसभा चुनावों के दौरान आपराधिक पृष्ठभूमि वाले सांसदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वर्ष 2009 में कुल 543 निर्वाचित सांसदों में से 162 सांसद (30 प्रतिशत) के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें से 76 (14 प्रतिशत) गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़े थे। वर्ष 2014 में यह संख्या बढ़कर 185 हो गई, जो कुल का 34 प्रतिशत है, और गंभीर मामलों में संलिप्त सांसदों की संख्या 112 (21 प्रतिशत) तक पहुँच गई। यह दर्शाता है कि राजनीतिक दलों ने ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जो आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद चुनावी जीत के लिए प्रभावशाली थे। सबसे चिंताजनक स्थिति वर्ष 2019 में देखी गई, जब कुल 539 सांसदों में से 233 (43 प्रतिशत) आपराधिक पृष्ठभूमि से थे, और इनमें से 159 (29 प्रतिशत) गंभीर मामलों में आरोपी थे, जैसे हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती, और सांप्रदायिक हिंसा। यह प्रवृत्ति न केवल राजनीति के नैतिक स्तर को गिराती है, बल्कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास भी डगमगाता है। आंकड़े यह संकेत देते हैं कि राजनीतिक दल अब अपराधियों को टिकट देने से नहीं हिचकते, और मतदाता भी कभी–कभी जाति, धर्म या धनबल के प्रभाव में ऐसे उम्मीदवारों को चुन लेते हैं। इस स्थिति का समाधान केवल विधायी सुधारों, न्यायिक सक्रियता और जागरूक मतदाता अभियान के समुचित समन्वय से ही संभव है, जिससे लोकतंत्र को अपराध–मुक्त और पारदर्शी बनाया जा सके।

यह भी देखा गया है कि न केवल राष्ट्रीय स्तर पर, बल्कि राज्य विधानसभा चुनावों में भी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले जनप्रतिनिधियों की संख्या चिंताजनक रूप से बढ़ रही है। विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं में आपराधिक और गंभीर आपराधिक मामलों से जुड़े विधायकों की भागीदारी लगातार अधिक होती जा रही है, जिससे लोकतांत्रिक शासन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

उदाहरणस्वरूप, नीचे प्रस्तुत तालिका 4 में वर्ष 2023 तक के प्रमुख राज्यों की विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले विधायकों की संख्या और उनका प्रतिशत दिखाया गया है। इस डेटा से स्पष्ट होता है कि यह समस्या केवल कुछ राज्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे भारत में फैली हुई है। यह प्रवृत्ति न केवल विधायिका की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है, बल्कि जनप्रतिनिधित्व की नैतिकता और सार्वजनिक विश्वास को भी कमजोर करती है।

तालिका 4 – राज्य विधानसभा स्तर पर प्रमुख राज्यों की स्थिति (2023 तक के आधार पर)

राज्य	कुल विधायक	आपराधिक मामले वाले विधायक	प्रतिशत (%)	गंभीर आपराधिक मामले	प्रतिशत (%)
बिहार	243	163	67%	123	51%
उत्तर प्रदेश	403	208	52%	143	35%
महाराष्ट्र	288	146	51%	106	36%
पश्चिम बंगाल	294	107	36%	78	26%
मध्य प्रदेश	230	78	34%	51	22%
दिल्ली	70	43	61%	31	44%
तमिलनाडु	234	34	15%	21	9%
केरल	140	24	17%	10	7%

स्रोत– ADR Reports on MLA affidavits (State-wise Assembly Elections, latest as of 2023)

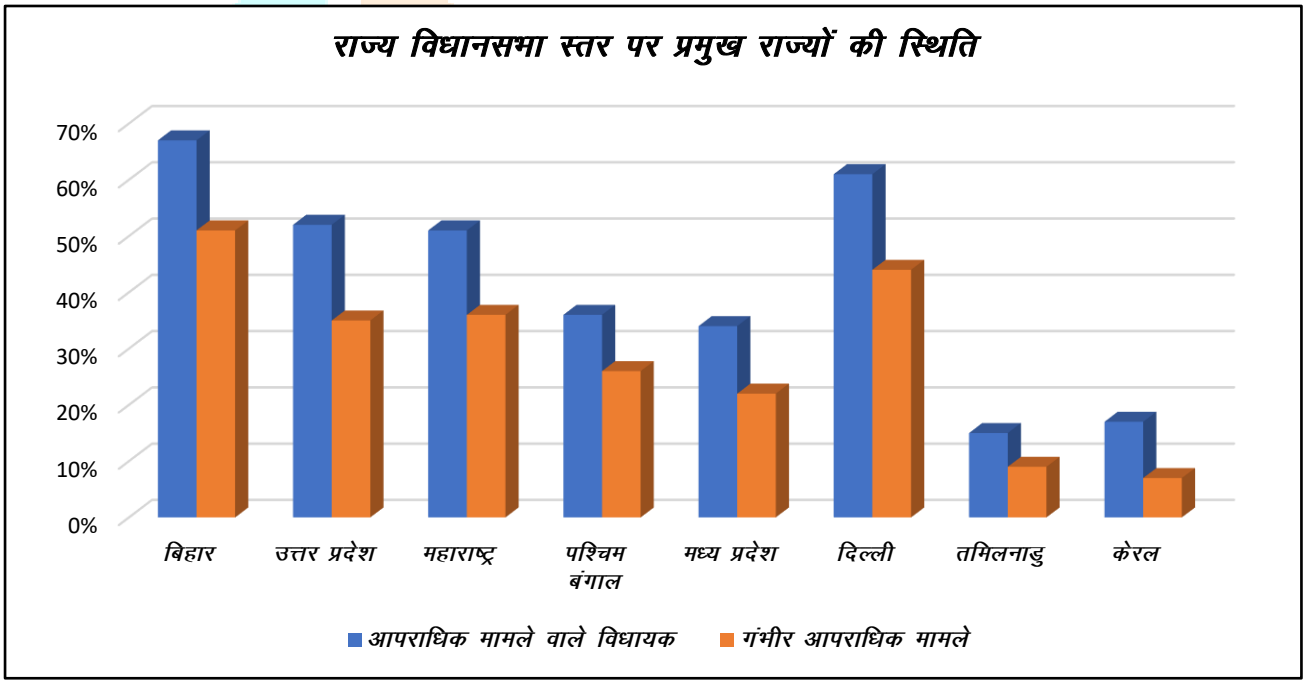

भारत की राज्य विधानसभाओं में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले विधायकों की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र के लिए एक गहरी चिंता का विषय बन चुकी है। भारत के चुनाव सुधारों पर कार्यरत संस्था "एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR)" द्वारा वर्ष 2023 तक जारी आंकड़ों के अनुसार, कई राज्यों में 30% से अधिक विधायक आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायकों में से 163 विधायक (लगभग 67%) के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 123 (50%) गंभीर आपराधिक धाराओं के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार, महाराष्ट्र विधानसभा में 288 में से 175 विधायक (61%) आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं, और इनमें से 121 (42%) पर गंभीर आरोप हैं। उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, वहां 403 विधायकों में से 243 (60%) आपराधिक रिकॉर्ड वाले हैं, जिनमें से 159 (39%) गंभीर अपराधों से जुड़े हुए हैं।

यह प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि राजनीतिक दल अब चुनाव जीतने की संभावना के आधार पर ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं, जो या तो बाहुबल, धनबल या प्रभावशाली जातीय समीकरणों के कारण लोकप्रिय हैं, भले ही उनका आपराधिक रिकॉर्ड कितना भी खराब हो। गंभीर आरोपों में हत्या, बलात्कार, फिरौती, सांप्रदायिक हिंसा, महिलाओं के खिलाफ अपराध और भ्रष्टाचार शामिल हैं, जो सीधे तौर पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों, विधि–व्यवस्था और जनहित पर आघात करते हैं। यह समस्या केवल एक क्षेत्रीय प्रवृत्ति नहीं रही, बल्कि यह राष्ट्रीय स्तर पर लोकतंत्र के पतन की ओर संकेत करती है।

राजनीति के अपराधीकरण के मुख्य कारण–

भारत में राजनीति के अपराधीकरण का विषय अत्यंत गंभीर है, जो लोकतंत्र की नींव को कमजोर कर रहा है। यह समस्या केवल चुनाव जीतने या सत्ता प्राप्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव शासन की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जनकल्याण पर भी पड़ता है। इसके पीछे कई जटिल सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत कारण हैं, जिनकी विस्तृत व्याख्या नीचे की गई है–

1. चुनावी प्रक्रिया की कमजोरियाँ–

भारत में चुनाव लड़ने के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक या नैतिक योग्यता निर्धारित नहीं है। कोई भी व्यक्ति, भले ही उस पर गंभीर आपराधिक मुकदमे क्यों न चल रहे हों, चुनाव लड़ सकता है जब तक कि वह दोषी सिद्ध न हो जाए। ऐसे में आरोपी लोग अदालतों में मुकदमा लंबा खींचते रहते हैं और राजनीति में सक्रिय रहते हैं।

उदाहरण– 2023 तक संसद और विधानसभाओं में 43% से अधिक सांसदों–विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, फिर भी वे निर्वाचित हैं।

2. राजनीतिक दलों की स्वार्थपूर्ण रणनीति–

राजनीतिक दल चुनाव जीतने की संभावना को प्राथमिकता देते हैं, चाहे उम्मीदवार की छवि कैसी भी हो। अपराधियों को अक्सर टिकट इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनके पास धनबल, बाहुबल और जातीय–समुदाय विशेष का समर्थन होता है, जिससे जीत की संभावना बढ़ जाती है। 2019 लोकसभा चुनाव में जीतने वाले 43% सांसदों के खिलाफ आपराधिक मामले थे, जबकि 2004 में यह आंकड़ा 24% था – यानी स्थिति बद से बदतर हो रही है।

3. न्यायिक प्रक्रिया में देरी –

भारत में आपराधिक मामलों की सुनवाई वर्षों तक चलती है। अभियुक्त जब तक दोषी सिद्ध न हो, तब तक उसे चुनाव लड़ने से रोका नहीं जा सकता। इस कानूनी शिथिलता का फायदा उठाकर अपराधी लंबे समय तक राजनीति में बने रहते हैं। भारतीय अदालतों में 4 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें कई राजनीतिक अपराधी भी शामिल हैं।

4. धनबल और बाहुबल का प्रभाव –

अपराधियों के पास अकसर अपार धनबल और बाहुबल होता है, जिससे वे मतदाताओं को प्रभावित कर लेते हैं कृ जैसे वोट खरीदना, डराना–धमकाना, मुफ्त उपहार देना इत्यादि। चुनाव में भारी खर्च के कारण कई राजनीतिक दल ऐसे प्रभावशाली लेकिन आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों को ही चुनते हैं।

5. सामाजिक संरचना और जातीय समीकरण –

कई बार स्थानीय जातीय और सांप्रदायिक समीकरणों के कारण अपराधी नेता लोगों के "रक्षक" के रूप में देखे जाते हैं। वे 'अपने समुदाय' के लिए काम करने वाले मसीहा जैसे प्रचारित होते हैं, जिससे जनता भी उन्हें समर्थन देने लगती है। विश्लेषणरूप से बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में बाहुबली नेताओं की लोकप्रियता इसी कारण बढ़ी है।

6. मतदाताओं की राजनीतिक जागरूकता की कमी –

कई बार मतदाता केवल स्थानीय प्रभाव, जाति, धर्म या छोटे लाभ (जैसे पैसे, शराब, गिफ्ट आदि) के आधार पर वोट करते हैं। वे उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड को नजरअंदाज कर देते हैं। यही वजह है कि कई बार स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशी हार जाते हैं।

7. मीडिया और निगरानी की सीमित भूमिका –

हालांकि मीडिया और ADR जैसे संस्थान चुनाव से पहले प्रत्याशियों का शपथपत्र जारी करते हैं, परंतु इन जानकारियों को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुँचाने में असफलता रहती है। इसका लाभ अपराधी उम्मीदवारों को मिलता है।

8. कानूनों की कमी और राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव –

भ्रष्टाचार और अपराध से राजनीति को दूर रखने के लिए सख्त कानूनों की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने बार–बार आपराधिक पृष्ठभूमि वालों पर रोक लगाने की मांग की है, लेकिन राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति कमजोर रही है।

राजनीति का अपराधीकरण केवल विधायकों की आपराधिक छवि तक सीमित नहीं है, यह हमारे लोकतंत्र की पारदर्शिता, निष्पक्षता और शासन की गुणवत्ता को सीधा प्रभावित करता है। जब अपराधी सत्ता में आते हैं तो वे कानूनों का दुरुपयोग कर न्याय व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे लोकतंत्र का मूल ढाँचा खतरे में पड़ता है। इस पर नियंत्रण के लिए चुनाव सुधार, न्यायिक प्रक्रिया में तेजी, राजनीतिक दलों की जवाबदेही, और जन–जागरूकता जरूरी है।

राजनीति के अपराधीकरण के दुष्परिणाम –

भारत में राजनीति का अपराधीकरण लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा आघात करता है। यह प्रवृत्ति न केवल कानून व्यवस्था को कमजोर करती है, बल्कि नीति–निर्माण, प्रशासनिक निष्पक्षता, और जनप्रतिनिधित्व की गुणवत्ता पर भी गंभीर प्रभाव डालती है। जब अपराधी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति सत्ता में आते हैं, तो उनका प्राथमिक उद्देश्य जनसेवा नहीं बल्कि व्यक्तिगत लाभ, संरक्षण और दण्ड से मुक्ति सुनिश्चित करना होता है। इससे प्रशासनिक निर्णय पक्षपातपूर्ण और भ्रष्ट हो जाते हैं।

सबसे गंभीर दुष्परिणाम यह होता है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास कमजोर पड़ता है। आम मतदाता यह सोचने लगता है कि चुनाव जीतने के लिए धन, बाहुबल और जातिगत समीकरण ही निर्णायक हैं, न कि योग्यता और सेवा का भाव। इससे अच्छे, ईमानदार और योग्य उम्मीदवार चुनावी दौड़ में पिछड़ जाते हैं और राजनीति में प्रतिभाशाली लोगों का प्रवेश हतोत्साहित होता है।

इसके अतिरिक्त, नीतिगत भ्रष्टाचार और विकास की धीमी गति भी राजनीति के अपराधीकरण का परिणाम है। आपराधिक प्रवृत्ति वाले नेता अपने क्षेत्र में विकास की जगह अपने प्रभाव विस्तार पर अधिक ध्यान देते हैं। इस प्रकार कानून–व्यवस्था के साथ समझौता होता है, पुलिस–प्रशासन पर दबाव पड़ता है, और अपराधियों को संरक्षण मिलता है।

अंततः यह प्रवृत्ति सामाजिक असमानता, भय का वातावरण और लोकतंत्र के कमजोर पड़ने की ओर ले जाती है। समाज में न्याय की उम्मीद समाप्त होती है और हिंसा का राजनीतिक औजार के रूप में इस्तेमाल बढ़ता है। यदि इस पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया, तो लोकतंत्र की नींव खोखली हो जाएगी और शासन की वैधता पर प्रश्नचिह्न खड़े हो जाएंगे। इसलिए राजनीति से अपराधियों की भागीदारी समाप्त करना न केवल विधायी सुधार का मुद्दा है, बल्कि यह भारत के लोकतांत्रिक भविष्य की रक्षा का भी प्रश्न है।

राजनीति के अपराधीकरण के समाधान और सुझाव

1. कानूनी सुधार (Legal Reforms)

भारत में मौजूदा कानूनों के तहत केवल उन्हीं व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है जिन्हें अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया हो। परंतु, कई गंभीर अपराधों जैसे हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि में अभियुक्त व्यक्ति केवल इसलिए चुनाव लड़ने के लिए पात्र बन जाता है क्योंकि उसका मामला अभी न्यायालय में लंबित है। इससे कानून की गंभीरता कमजोर होती है और लोकतंत्र की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठता है। अतः आवश्यकता है कि गंभीर आरोपों में आरोपपत्र दाखिल होते ही ऐसे अभियुक्तों को चुनाव लड़ने से वंचित किया जाए। इसके लिए संसद को कठोर एवं स्पष्ट प्रावधानों को लागू करना चाहिए।

2. चुनाव आयोग को अधिक अधिकार (Empowering Election Commission)

भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, परंतु उसके पास यह अधिकार नहीं है कि वह आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार का नामांकन खारिज कर सके। इस कारण आयोग केवल निगरानी और आचार संहिता के उल्लंघन तक ही सीमित रहता है। यदि चुनाव आयोग को वैधानिक रूप से यह शक्ति दी जाए कि वह गंभीर आरोपों वाले व्यक्तियों के नामांकन को अस्वीकार कर सके, तो यह राजनीति के अपराधीकरण पर एक प्रभावी रोक हो सकती है। साथ ही, धनबल और बाहुबल के उपयोग की तत्काल जांच और कार्रवाई की व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाना होगा।

3. राजनीतिक दलों की जवाबदेही (Accountability of Political Parties)

राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति की होड़ में अक्सर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को टिकट दे देते हैं, क्योंकि वे प्रभावशाली, धनबल या जनाधार वाले होते हैं। इससे न केवल राजनीति में अपराधियों का प्रवेश होता है, बल्कि यह लोकतंत्र के आदर्शों पर भी आघात करता है। चुनाव आयोग और न्यायपालिका को यह अधिकार मिलना चाहिए कि यदि कोई दल लगातार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को टिकट देता है, तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सके दृ जैसे उसकी मान्यता रद्द करना या चुनाव चिन्ह जब्त करना। साथ ही, दलों को उम्मीदवार की पृष्ठभूमि को सार्वजनिक करना अनिवार्य किया जाए।

4. जन–जागरूकता अभियान (Public Awareness Campaigns)

देश में अधिकांश मतदाता अभी भी जाति, धर्म, क्षेत्रीय पहचान या छोटे प्रलोभनों के आधार पर वोट डालते हैं। वे अक्सर उम्मीदवार की आपराधिक पृष्ठभूमि से अनभिज्ञ होते हैं या उसे नजरअंदाज कर देते हैं। इस स्थिति को बदलने के लिए मतदाताओं में व्यापक जन–जागरूकता फैलाना आवश्यक है। चुनाव पूर्व विशेष अभियान चलाकर, मीडिया और सिविल सोसायटी के माध्यम से यह बताया जाए कि स्वच्छ छवि वाले प्रत्याशी को वोट देना राष्ट्रहित में है। साथ ही, पाठ्यक्रम में नागरिक शिक्षा को शामिल कर युवा पीढ़ी में जागरूकता पैदा की जा सकती है।

5. न्यायिक प्रणाली की गति में सुधार (Fast Track Courts)

राजनीतिक नेताओं के खिलाफ दर्ज अधिकांश आपराधिक मामले वर्षों तक लंबित रहते हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान ऐसे लंबित मामलों का फायदा उम्मीदवार को मिलता है और वह कानूनी रूप से चुनाव लड़ लेता है। इससे न केवल न्याय प्रणाली की साख प्रभावित होती है बल्कि अपराधी नेताओं को वैधता भी मिलती है। इसका समाधान यह है कि जनप्रतिनिधियों से जुड़े मामलों के लिए विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना हो, जो तय समय–सीमा (जैसे 1 वर्ष) में मुकदमों का निपटारा सुनिश्चित करें। इससे अपराधियों की समय पर पहचान और अयोग्यता सुनिश्चित की जा सकेगी।

6. मीडिया और नागरिक संस्थानों की भूमिका (Role of Media and Civil Society)

स्वतंत्र मीडिया और सिविल सोसायटी संस्थाएं लोकतंत्र की रीढ़ हैं। मीडिया यदि निष्पक्ष रूप से उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि की जानकारी जनता तक पहुंचाए, तो मतदाता एक जागरूक निर्णय ले सकते हैं। कई संगठनों जैसे ADR (Association for Democratic Reforms) द्वारा प्रत्येक उम्मीदवार की शैक्षणिक, आपराधिक और आर्थिक स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। ऐसे प्रयासों को सरकारी और संस्थागत स्तर पर सहयोग मिलना चाहिए। मीडिया को भी चुनावों के दौरान अपने दायित्व को बखूबी निभाना चाहिए और 'चुनावी पत्रकारिता' को केवल प्रचार तक सीमित नहीं रखना चाहिए।

7. मतदाताओं के लिए निगरानी तंत्र (Voter Vigilance Mechanism)

राजनीति में धनबल, दबाव और धमकी जैसी समस्याएं आम हैं। ऐसे में आवश्यक है कि प्रत्येक चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं के लिए एक स्वतंत्र निगरानी तंत्र या हेल्पलाइन हो, जहां वे गुमनाम रूप से उम्मीदवार या पार्टी की संदिग्ध गतिविधियों की शिकायत कर सकें। यह प्रणाली चुनाव आयोग के सीधे नियंत्रण में हो और उस पर त्वरित कार्रवाई की गारंटी दी जाए। इससे जनता की भागीदारी और जवाबदेही दोनों बढ़ेगी।

राजनीति के अपराधीकरण की समस्या का समाधान केवल कानून बनाने से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है। जब तक राजनीतिक दल, चुनाव आयोग, न्यायपालिका, मीडिया और जनता दृ सभी एकजुट होकर काम नहीं करेंगे, तब तक यह विकृति लोकतंत्र को कमजोर करती रहेगी। यदि उपर्युक्त सुझावों को चरणबद्ध ढंग से लागू किया जाए, तो राजनीति को अपराधमुक्त बनाने की दिशा में एक सशक्त शुरुआत की जा सकती है।

निष्कर्ष

भारत में राजनीति का अपराधीकरण लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर रहा है। यह केवल एक नैतिक या संवैधानिक संकट नहीं है, बल्कि शासन व्यवस्था, नीति निर्माण, विधायी प्रक्रिया, और समाज के न्यायिक ढांचे पर गहरा असर डालता है। विभिन्न चुनावों के आंकड़ों से यह स्पष्ट हो चुका है कि बड़ी संख्या में गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपित उम्मीदवार विभिन्न राजनीतिक दलों से चुनाव जीतकर संसद और राज्य विधानसभाओं में पहुँचे हैं। यह प्रवृत्ति इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि या तो राजनीतिक दल जानबूझकर ऐसे व्यक्तियों को टिकट दे रहे हैं जो चुनाव

जीतने की क्षमता रखते हैं, भले ही उनकी छवि आपराधिक हो, या फिर आम जनता भ्रष्टाचार और अपराध से निराश होकर भय, जातिगत या धनबल के आधार पर प्रतिनिधियों का चयन कर रही है।

इस स्थिति का सबसे गंभीर दुष्परिणाम यह है कि लोकतंत्र में 'जनता के प्रतिनिधि' होने के बजाय, ऐसे व्यक्ति सत्ता के संरक्षण में अपराध, भय और अनुचित लाभ का विस्तार करने लगते हैं। यह शासन व्यवस्था को पक्षपाती बनाता है और न्याय प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जब नीति निर्माण करने वाले स्वयं आपराधिक पृष्ठभूमि से हों, तो समाज के कमजोर वर्गों को न्याय मिलने की संभावना और भी कम हो जाती है। साथ ही, ऐसे प्रतिनिधियों के कारण प्रशासनिक अधिकारी भी निष्पक्ष कार्य करने से हिचकिचाते हैं, जिससे भ्रष्टाचार, पक्षपात और विकास में बाधा उत्पन्न होती है।

राजनीति के इस अपराधीकरण की रोकथाम के लिए केवल चुनाव आयोग या न्यायपालिका की भूमिका पर्याप्त नहीं है। इसके लिए व्यापक जनजागरण, नैतिक शिक्षा, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र और जनता की समझदारी आवश्यक है। आवश्यक यह भी है कि चुनावी सुधारों के माध्यम से ऐसे उम्मीदवारों के नामांकन पर रोक लगे जिन पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं और उनके मुकदमों का त्वरित निपटारा सुनिश्चित हो। साथ ही, मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि वे ऐसे नेताओं के खिलाफ जनमत तैयार करें और ईमानदार प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित करें।

अंततः, यदि भारत को एक समावेशी, पारदर्शी और उत्तरदायी लोकतंत्र बनाना है, तो राजनीति को अपराधमुक्त करना समय की माँग है। यह केवल एक विधिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन होना चाहिए, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। राजनीति में अपराध का प्रवेश जितना आसान हुआ है, उससे कहीं अधिक कठिन उसे बाहर निकालना होगाकृलेकिन यह एक ऐसा संघर्ष है जिसे देश के भविष्य और लोकतंत्र की गरिमा के लिए हर हाल में जीतना होगा।

संदर्भ सूची

- आनंद, एस. (2018). भारतीय राजनीति में आपराधिकरण का बढ़ता प्रभाव. दिल्ली विश्वविद्यालय प्रकाशन.
- आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक (Economic and Political Weekly). (2019). "Criminalization of Politics: Legal and Institutional Framework"- खंड 54, अंक 32.
- गांधी, यशवंत. (2020). लोकतंत्र और चुनावी सुधार. राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली.
- चौधरी, वी. (2016). राजनीतिक दल और आपराधिक पृष्ठभूमिः एक अध्ययन. जामिया मिलिया इस्लामिया, शोध प्रबंध.
- द हिंदू. (2019). "Candidates with Criminal Backgrounds in 2019 Lok Sabha Elections". ऑनलाइन प्राप्तः www.thehindu.com
- दत्ता, पी. (2017). भारत में विधायी अपराधीकरण की प्रवृत्तियाँ. प्रकाशन विभाग, भारत सरकार.
- भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India). (2020). भारत में चुनाव सुधार रिपोर्ट. नई दिल्ली.
- प्रसाद, एन. (2021). राजनीति का अपराधीकरण और लोकतांत्रिक मूल्यों पर प्रभाव. काशी विद्यापीठ वाराणसी, सामाजिक विज्ञान संकलन.
- पुनेठा, एस. (2022). भारतीय चुनावी राजनीति में अपराधी प्रवृत्तियों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण. हरियाणा विश्वविद्यालय.
- राय, एस.के. (2015). भारतीय राजनीति और आपराधिक छवि वाले सांसदों का तुलनात्मक विश्लेषण. इलाहाबाद विश्वविद्यालय.
- सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. (2018). पुनिता कुमार केस – आपराधिक आरोपों वाले नेताओं को अयोग्य घोषित करने का आदेश- SCC Online रिपोर्ट.
- एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR). (2009–2024).
- लोकसभा 2019ः विजयी सांसदों में से 43% पर आपराधिक मुकदमे दर्ज
- विधानसभा चुनाव रिपोर्टें– बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली इत्यादि राज्यों में प्रत्याशियों की आपराधिक पृष्ठभूमि का तुलनात्मक विश्लेषण

- ऑनलाइन स्रोत: www.adrindia.org
- शर्मा, एम. (2019). लोकसभा चुनाव 2019: आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का विश्लेषण. इंडिया टुडे रिसर्च ब्यूरो.
- सिंह, आर. (2016). राजनीति और अपराध: एक समाजशास्त्रीय विवेचन. भारतीय समाजशास्त्र पत्रिका, खंड 28.
- विश्व बैंक. (2020). भारत में सुशासन और राजनीतिक पारदर्शिता पर रिपोर्ट. वर्ल्ड बैंक पब्लिकेशन.